बिना कार्यादेश के ही मेला लगाने के नाम पर अवैध वसूली!

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। नगर पालिका परिषद शिवपुरी के द्वारा संचालित होने वाले श्रीसिद्धेश्वर मेला लगने से पहले ही अब विवादों की चर्चाओं में आ गया है। यहां संबंधित मेला ठेकेदार के द्वारा करीब 36 लाख रूपये की राशि में

दुकानें लगाए जाने के नाम पर कई दुकानदारों से दुकानें लगाने के नाम पर हो रही उगाही, सीएमओ ने जताई नाराजगी

मेले लगाने का ठेका लिया है लेकिन वह बिना कार्यादेश के ही मेले स्थल पर दुकानें लगाए जाने के नाम पर दुकानदारों से ही अवैध वसूली का कार्य करने में लगा हुआ है। कई ऐसे दुकानदार जो इस तरह की अवैध वसूली की शिकार

हो रहे तो उन्होंने तत्काल अपना नाम ना छापने की शर्त पर हमारे प्रतिनिधि को बताया कि बिना दुकान लगाए ही संबंधित ठेकेदार 15-15 हजार रूपये की मांग कर रहा है। जब यह जानकारी नगर पालिका सीएमओ डॉ.के.एस. सगर को लगी तो उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की और बिना कार्यादेश के होने वाले इस तरह के कार्य को गलत ठहराया साथ ही शिकायत आने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की बात भी कही।

अभी मेला लगा नहीं और अवैध वसूली होने लगी : अक्सर जब भी नगर पालिका के द्वारा श्रीसिद्धेश्वर मेला लगाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार को यह निर्देशित किया जाता है कि मेला नियमानुसार ही संचालित किया जावे, लेकिन इन दिनों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है और गर्मी का मौसम भी तेज है। बाबजूद इसके बिना कार्या आदेश के ही संबंधित मेला ठेकेदार अपने मेले के संचालन की गतिविधि को अवैध वसूली के साथ संचालित करने में लगा हुआ है। यहां अभी मेला लगा नहीं है और अवैध वसूली का शिकार संबंधित दुकानदार होने लगे है। एक-एक दुकान लगाए जाने के नाम पर 15-15 हजार रूपये तक वसूले जाने की चर्चाऐं हैं। यें तो मेले में सभी तरह की दुकानें लगती है जिसमें दूर-दराज के दुकानदार भी आते है, यहां छोटी और बड़ी दुकानें, झूठे, जादू शो, चाट पकौड़ी, कपड़े, फैंसी ज्वैलरी, खेल खिलौनें की अनेकों दुकानें लगनी है लेकिन यदि ऐसे ही दुकानदार मेला ठेकेदार की वसूली का शिकार होंगें तो फिर अपना व्यापार कैसे करेंगें, यह आसान से समझा जा सकता है।

महाशिवरात्रि पर हुआ पूजन लेकिन अब तक नहीं लगा और अब आचार संहिता है लागू

यूं तो हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीसिद्धेश्वर मेले का आयोजन करने हेतु भूमिपूजन किया जाता है और उसके बाद मार्च तक मेला पूरा होकर सैलानियों के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इस बार के श्रीसिद्धेश्वर मेले को अब तक कोई अता-पता नहीं है जबकि आचार संहिता भी लगी हुई है और अब चुनाव भी सिर पर है, ऐसे में सैलानी कैसे मेले में पहुंचेंगें, यह भी देखने वाली बात होगी। वैसे भी जब कोई ठेकेदार मेला लगाता है तो वह नपा की तय राशि के अनुरूप ठेका राशि जमा करने के साथ-साथ स्वयं की आय में भी लगा रहता है लेकिन इस बार तो 36 लाख रूपये में मेला ही ठेका पर हुआ है अब देखना होगा कि इस मेले की व्यवस्थाओं में संबंधित ठेकेदार सैलानियों के लिए क्या सुविधाऐं उपलब्ध कराता है।

इनका कहना है...

नगर पालिका से अभी मेले लगाने को लेकर कोई कार्या आदेश जारी नहीं हुआ है और यदि नगर पालिका के मेले के नाम पर कोई अवैध वसूली करता है तो संबंधित लोग शिकायत करें, हम कार्यवाही करेंगें।
- डॉ .के .एस .सगर, सीएमओ, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी

अवैध शराब के खिलाफ की कार्यवाही

नवभारत न्यूज
करैरा, 27 मार्च। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अति.पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एस.डी.ओ.पी. करैरा शिवनारायण मुकाती के मार्गदर्शन में थाना करैरा प्रभारी सुरेश शर्मा के द्वारा जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हूई कि एक व्यक्ति जो पीले रंग

100 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

की फुल टीशर्ट व काले रंग का पेंट पहने हुए है जो बगेधरी गांव की पहाड़िया पर बन रही पानी की टंकी के पास शराब से भरी हुई प्लास्टिक की दो कैनो को कही ले जाने के लिये किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचे तो मुखबिर द्वारा बताये हुलिया का एक व्यक्ति अपने पास नीले रंग की दो

प्लास्टिक की कैनो को रखे हुए दिखा जैसे ही हम पास पहुचे तो वह पुलिस को देखकर वह व्यक्ति भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा। जिसमें आरोपी बल्लू उर्फ बलवीर परिहार पुत्र लखन परिहार उम्र 26 साल नि.ग्राम बगेधरी थाना करैरा जिला शिवपुरी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से दो नीले रंग की दो प्लास्टिक की कैन जिसमें करीब 50-50 लीटर कुल 100 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमती 30 हजार रुपये को विधिवत जप्त किया व आरोपी बल्लू उर्फ बलवीर परिहार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अप.क्र. 224/24 पंजीबद्ध किया गया।

315 बोर का कट्टा, जिन्दा राउन्ड सहित आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
नरवर, 27 मार्च। संजीव मुले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे तथा शिवनारायण मुकाती एसडीओपी अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी के मार्गदर्शन निरीक्षक केदार सिंह यादव थाना प्रभारी थाना नरवर सयुक्त रूप से टीम बनाकर भ्रमण के दौरान मुखविर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति शा.प्रा.वि. सुल्तानपुर के पास कोई बारदात की नियत से मोटर साईकिल कमर मे कट्टा खुर्से हुए खड़ा है।

मुखविर की सूचना फोर्स की मदद से सोनू उर्फ सतेन्द्र सिहं सिकरवार पुत्र अरविन्द सिहं सिकरवार उम्र 34 साल निवासी ग्राम आयला थाना खैरागढ जिला

आगरा उ.प्र. को पकड़ा और आरोपी की तलाशी ली गयी तो बायी तरफ कमरे मे एक कट्टा 315 बोर का एवं एक जिन्दा राऊन्ड व एक मिस राऊड 315 बोर का एक मोवाईल 500 रूपये नगद मिले उक्त व्यक्ति से कट्टा रखने का लायसेस मांगा तो नही मिला। आरोपी को मौके पर पंचानो के समक्ष विधिवत् गिरफ्तार कर मशरूका का जप्ती पंचनामा तैयार कर वापसी पर अप.क्र. 60/2024 धारा 25/27 आर्म्स का कायम कर विवेचना मे लिया गया। इस कार्यवाही में निरी. केदार सिहं यादव थाना प्रभारी नरवर, उनि जूली तोमर चौकी प्रभारी मगरौनी, सउनि परमाल सिंह, प्र.आर. विपिन यादव, आर. संतोष कुमार, सचिन यादव, परमाल सिहं, शैलेन्द्र सिहं, धर्मेन्द्र सिहं, सायल खान, हुकुम सिंह, महिला आर. कीर्ती मोर्य, राजकुमार माझी, राजवहादुर चोकोटिया की सराहनीय भूमिका रही है।

मुक्तिधाम में आग से जलीं क्विंटलों लकड़ियां

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। आमजन को साईकिल के प्रति जागरूकता के लिए कार्यरत खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से जिला खेल अधिकारी

पैडलर ग्रुप ने 51 हजार रूपये की राशि से दान की लकड़ियां

डॉ.के.के.खरे द्वारा संचालित पैडलर ग्रुप के द्वारा मानवता की अनूठी मिसाल उस समय पेश की गई जब एकाएक अज्ञात कारणों सें शहर के मुक्तिधाम में आग लगने की घटना से जली क्विंटलों की लकड़ियों की भरपाई के लिए सहयोग राशि

एकत्रित की और 51 हजार रूपये की राशि से क्विंटलों की लकड़ियों की व्यवस्था की अनूठी सहयोग राशि जिला कलेक्टर रविन्द्र चौधरी के माध्यम से मुक्तिधाम व्यवस्था संभालने वाली संस्था मानवता संस्था के अजय बंसल को पैडलर ग्रुप के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल(पिंकू भैया)के द्वारा सौंपी गई। इस मानव सेवा में वन विभाग के वन परिक्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह जाटव के द्वारा भी 15 क्विंटल लकड़ियों का दान सहयोग स्वरूप किया गया है।

बताना होगा कि जब कुछ दिनों पहले हर शहर के मुक्तिधाम में हुई आगजनी की घटना के उपरांत पैडलर ग्रुप के सभी साथियों ने प्रण लिया था कि मानवता से इस नेक कार्य के लिए सभी मिलकरन सहयोग स्वरूप दान करेंगें, इस पर सभी पैडलर ग्रुप के सहयोगियों ने अपनी-अपनी ओर से स्वेक्षा दान और यह दान राशि कुल 51000/- एकत्रित हुए, इस राशि को कलेक्टर रविन्द्र चौधरी के हाथों से 51000/- राशि मानवता ट्रस्ट के संचालक अजय बंसल को प्रदान की गई। अब इस राशि से कई कुण्टल लकड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी। जो की मुक्तिधाम में काम आएगी। समाज सेवा के लिए मिले सभी सहयोग के प्रति पैडलर ग्रुप अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने आभार प्रकट किया है।

9 लाख की शराब और लहान किया जब्त

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। इन दिनों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में अलग-अलग आबकार वृत्त क्षेत्रो में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही की गई जिसमें 9 लाख रूपये की शराब व 8200 लीटर लहान जब्त करते हुए मौके पर ही नष्ट किया गया व 47 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसके साथ ही 45 मदिरा दुकानों का निरीक्षण भी किया गया।

बताना होगा कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुये शिवपुरी जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरुद्ध संजय कुमार गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में आदर्श आचार संहिता लागू जिसमें 16 मार्च से 26 मार्च तक जिला शिवपुरी क्षेत्रातर्गत वृत्त प्रभारियों द्वारा कुल 321.47 लीटर मदिरा एवं 8200 लीटर लहॉन (मौके पर नष्ट) जप्त कर म.प्र.आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 51 छापामार कार्यवाहियों में कुल 47 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रूपये है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिनांक से आबकारी विभाग शिवपुरी द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुये 45 मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगामी दिनों में भी आबकारी विभाग शिवपुरी के द्वारा मदिरा के अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी जरूरी : वैनीबाल

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। शिवपुरी शहर में जैक एंड जिल स्कूल द्वारा पैरंट अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया जिसमें दिल्ली से आए हुए

पालक सोच समझकर करें विद्यालय का चयन : जाहर सिंह

बेनीवाल बच्चों के रखरखाव एवं उनकी पढ़ाई के तरीके बताएं गए।

जिससे में बच्चों शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी जरूरी है साथ ही बच्चे फिट होंगे तो उनका मन के साथ मस्तिष्क में भी अच्छे

विचार आऐंगे। हमें एक बच्चे में ज्ञान तो कूट-कूट के भरा है पर ना तो उसमें नैतिकता है ना मानवता, ऐसा ज्ञान ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। इसलिए पालकों से अज्ञात किया कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जरूर बनाइये पर सबसे पहले उससे पहले से उसे एक अच्छा इंसान, एक-एक सच्चा नागरिक बनाइये। उसको अपने परिवार के संस्कार, सामाजिक नियम व दायित्व का बोध कराना अति आवश्यक है।

ये संस्कार या सामाजिक नियम कहीं लिखित नहीं होते पर अच्छे स्कूल, शिक्षक व माता-पिता से बच्चों में आते हैं उक्त उदगार सौरव वैनीबाल व्यक्त किए। इस अवसर पर उनके साथ संस्था के डायरेक्टर जाहर सिंह रावत सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जाहर सिंह रावत ने कहा कि एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा शिक्षक ही ज्ञान तथ्य और तार्किकता में सही समन्वय बना सकता है। जो कि किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में अति आवश्यक होते हैं, इसलिए पालकों को सोच समझ कर ही विद्यालय का चयन करना चाहिए। इस अवसर पर प्रिंसिपल संध्या शर्मा ने बच्चों के प्रति पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, स्कूल की क्या जिम्मेदारी है, बच्चों को अपने कार्य कैसे करना है एवं संस्कारों में हम बच्चों कैसे आगे रखें। उक्त विचारों से भी अवगत कराया। जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार युक्त ज्ञान भी आवश्यक है। जैक एण्ड जिल विद्यालय परिवार द्वारा मोटिवेशनल सौरव वैनीबाल का अंत में सम्मान किया गया।

शिवपुरी के टेबल टेनिस खिलाड़ियों का सतना में हुआ शानदार प्रदर्शन

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। 21 मार्च से 23 मार्च तक सतना जिले में आयोजित तृतीय स्वर्गीय अनोद जैसवाल स्मृति कैश प्राइज टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिवपुरी के टेबल टेनिस खिलाडियों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बॉयज व गर्ल्स ने कई वर्गों में विजेता व उपविजेता

कई वर्गों में बने विजेता व उपविजेता, जीती ट्रॉफी

रहने का गौरव प्राप्त करके शिवपुरी का नाम रोशन किया।

शिवपुरी टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव व प्रशिक्षक सुनील जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख इकतीस हजार की कैश व अन्य प्राइज वाली इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सतना, शिवपुरी, भोपाल, रीवा, शहडोल, छतरपुर, सीधी, पन्ना, कटनी, अनूपनगर, सिवनी व सिंगरौली के खिलाडियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में शिवपुरी के खिलाडियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कई स्पर्धा में विजेता व उपविजेता रहते हुए कैश प्राइज व शील्ड जीतने में सफलता प्राप्त की। जीतने वाले सभी खिलाडियों को शिवपुरी के सभी खेल प्रेमियों ने बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी है।

यह खिलाड़ी बने विजेता-उपविजेता

सतना में हुई टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में अंचल शिवपुरी के कई खिलाड़ी विजेता और उपविजेता बने जिसमें बालक वर्ग में अण्डर-13 में उपविजेता पर्व गुप्ता, अण्डर - 17 डबल्स विजेता राघव शर्मा/शुभाँग शर्मा, गर्ल्स वर्ग -13 विजेता साक्षी कश्यप, गर्ल्स वर्ग-15 उपविजेता निराली गुप्ता, गर्ल्स वर्ग- 17 उपविजेता निराली गुप्ता, गर्ल्स वर्ग डबल्स- 15 विजेता निराली गुप्ता/दिव्यांशी जैन, गर्ल्स वर्ग डबल्स- 15 उपविजेता साक्षी कश्यप/आयुषी शर्मा, गर्ल्स वर्ग डबल्स - 17 उपविजेता निराली गुप्ता/दिव्यांशी जैन, बालक वर्ग में संभव जैन, वंदन सांखला व वरुण गुप्ता ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को बहुत प्रभावित किया।

अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही

पिछोर, 27 मार्च। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन एवं एसडीओपी अनुभाग पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अबैध हथियार के संबंध में चलाये जा रहे अभियान में मुखविर सूचना पर से आरोपी हल्के उर्फ रुद्रप्रताप पुत्र गोपाल सिंह उम्र 22 साल निवासी पिपरो एवं आरोपी हजारी पुत्र मनीराम सेन उम्र 21 साल निवासी पिपरो के कब्जे से एक एक लोहे की धारदार अबैध छुरी प्रथक प्रथक जप्त कर प्रथक प्रथक क्रमशः अप.क्र.78/24 व 79/24 धारा 25बी आर्म्स एक्ट के पंजीबद्ध किये गये। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मायापुर निरीक्षक नीतू सिंह, उनि चन्द्रभान सिंह भदौरिया, सउनि राजेन्द्र शर्मा की सराहनीय भूमिका रही है।

फरारी वारंटियों का धरपकड़ अभियान निरंतर जारी

नवभारत न्यूज
दिनारा, 27 मार्च। जिला पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी के नेतृत्व में करैरा एसडीओपी के मार्गदर्शन में स्थाई एवं गिरफ्तारी वारंटी की धरपकड़ हेतु अभियान के पालन में आज दिन 27 /3/ 2024 को माननीय जे एफ एम सी न्यायालय करैरा के प्रकरण क्रमांक 666 / 2017 का फरार स्थाई गिरफ्तारी वारंटी धर्मेंद्र जाटव पुत्र छोटेलाल जाटव निवासी ग्राम टोकनपुर थाना करैरा जिला शिवपुरी को ग्राम टोकनपुर थाना करैरा से विधिवत गिरफ्तार किया गया और स्थाई वारंटी को न्यायालय करैरा में पेश किया गया उक्त स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ,एएसआई विनोद गौतम, प्रधान आरक्षक, हिमांशु चतुर्वेदी, सेवाराम पांडे, मृत्युंजय सिंह ,आरक्षक रामपाल जाट, की सराहनीय भूमिका रही।

नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। राज्य शिक्षा केन्द्र ने नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 01 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जाने के निर्देश दिये गये है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयो की स्थानीय परीक्षाएँ सम्पन्न हो गई है। समस्त बच्चों को 01 अप्रैल से नवीन कक्षाओं में प्रावधिक प्रवेश देने के पश्चात् ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित किया जाए।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने जानकारी दी कि कक्षा 1 के लिए नव प्रवेशित बच्चों को स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन किया जाये। कक्षा 2 व 3 में क्रमशः कक्षा 1 व 2 के 10 वे 20 वे एवं 30 वे सप्ताह के ट्रेकर के आधार पर बच्चों द्वारा जिन दक्षताओं में सीखना शेष रह गया है। उनको चिन्हांकित करते हुए अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाएं एवं छूटी हुई दक्षताओ को पूर्ण किया जाए।

संचालक शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने कहा कि कक्षा 4 से 8 में कक्षोन्नत विद्यार्थियों की पूर्व कक्षा के प्रश्नपत्रों को हल कराते हुए आदर्श उत्तर लिखने का अभ्यास कराया जाए। विगत कक्षा की उपलब्ध स्थानीय वार्षिक परीक्षाओं की मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण निर्धारित प्रारूप अनुसार विद्यार्थीवार व कक्षावार किया जाकर न्यूनतम अधिगम स्तर को चिह्नांकित कर विद्यार्थियों की छूटी हुई दक्षताओं के पुर्नअभ्यास करवाया जाए। राज्य द्वारा प्रदाय की जा रही 'प्रयास' अभ्यास पुस्तिका (कक्षा 2 से 3, 4 से 5 तथा 6 से 8) को 15 अप्रैल तक प्रत्येक विद्यार्थी को वितरण अनिवार्यतः किया जाये। शिक्षको द्वारा विद्यार्थियों को इन अभ्यास पुस्तिकाओं के सन्दर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाये ताकि ग्रीष्म अवकाश में विद्यार्थी इस पुस्तिका पर कार्य कर सकें।

चुनावी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 27 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों (बच्चों) को

आयोग ने जारी किए निर्देश

शामिल करने, उन्हें नियोजित करने एवं उनका किसी भी रूप में उपयोग करने को प्रतिवंधित किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में बच्चों का चुनावी गतिविधियों में उपयोग करते पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों शामिल न किया जाए। मतदाता जागरूकता आदि किसी भी कार्य में स्कूली छात्र, छात्राओं को शामिल न किया जाए।

सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी किसी भी कार्य- गतिविधियों में बाल श्रमिकों को शामिल करने से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालश्रम निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2016 के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन न हो। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों, मतदान, मतगणना एजेंटों द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

चुनाव अभियान, रेलियों आदि में किसी भी रूप में बच्चों का उपयोग न करें, जिसमें पोस्टर, पैम्पलेट का वितरण या नारेबाजी, अभियान रैलियों, चुनावी बैठकों आदि में भाग लेना शामिल है। किसी भी संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि सभी राजनीतिक नेताओं, उम्मीदवारों को किसी भी तरह से अभियान प्रचार रैली, यात्रा आदि के लिए बच्चों का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा, राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चे का उपयोग या तो बोले गए शब्दों, कविताओं, गीतों के माध्यम से, राजनीतिक दल, उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन, किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों को ब?वा देना या प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की आलोचना का सहारा नहीं लिया जाएगा।

मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल एक से 10 अप्रैल तक स्थगित

शिवपुरी-प्रदेश में कृषि वर्ष परिवर्तन के कारण कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा संचालित मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल की सेवाएँ एक अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक स्थगित रहेंगी। यह जानकारी कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा दी गई है।